## Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Divya Sharma Judicial Magistrate- Ist Class, Ludhiana Date: 22-04-2024

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank
Vs.
Mohd. Alam
CNR NO: PBLD03-020780-2022

Publication Issued To: Mohd. Alam Address- Son Of Mohd Aslam Rampur Ghana Zoya Amroha 242221 Amroha

Whereas it has proved to the staisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 22-04-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

---

## Criminal Court, Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)

In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
M/s UP Money Ltd
Vs.
Roshni Devi
CNR NO: PBLD03-011792-2021
COMA/ 7776/2021

Notice To: 2) Anand Singh S/o Sitaram R/o Garhi Bhalaur panipat- 132104

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 24-04-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

---

**बैंक ऑफ इंडिया**
कनॉट सर्कस शाखा
एच–16 इंद्रा पैलेस, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001
फोन नंबर 011–46063272,23738368,23739794

### कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के **बैंक ऑफ इंडिया**, कनॉट सर्कस शाखा, एच–16 इंद्रा पैलेस, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001 का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार **मैसर्स ESS Kay इंटरप्राईजेज (प्रोपराईटर श्री हर्षित गुप्ता) ने ई–9 ग्राउंड फ्लोर सेक्टर ए–7 ट्रोनिका सिटी लोनी गाजियाबाद–201102 को** मांग सूचना दिनांक 06-01-2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रु. 1,53,54,251.51 + UCI (रु. एक करोड़ तिरेप्पन लाख चौवन हजार दो सौ इक्यावन और पैसे इक्यावन मात्र) दिनांक 04.10.2023 से ब्याज इत्यादि** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **20.03.2024** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया,** कनॉट सर्कस शाखा, एच–16 इंद्रा पैलेस, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001 के प्रभार वास्ते **रु. 1,53,54,251.51 (रु. एक करोड़ तिरेप्पन लाख चौवन हजार दो सौ इक्यावन और पैसे इक्यावन मात्र) प्लस अंचार्ज ब्याज इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपतियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण**

**प्लॉट नं. ई–9, भूतल, सैक्टर–ए–7, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, यू.पी.–201102 में स्थित, क्षेत्रफल 300 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री हर्षित गुप्ता के नाम पर है।**

**दिनांक : 20-03-2024, स्थान : नई दिल्ली** **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया**

---

**पंजाब नैशनल बैंक** ......भरोसे का प्रतीक **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

**मण्डल सस्त्रा केन्द्र, गुरुग्राम**
**प्लॉट नं. 5, इन्सटीट्यूशनल एरिया, सैक्टर–32, गुरुग्राम, ईमेलः cs8230@pnb.co.in**

### कब्जा सूचना
### [(अचल सम्पत्ति हेतु (नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बैंक,** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता **(1) मैसर्स ओम एजेंसियां** (प्रोप. चिराग बंसल) ओल्ड जीटी रोड, होडल – 121106 (2) श्री चिराग बंसल (प्रोप.) निवासी वार्ड नं. 3, पेच कॉलोनी, अग्रवाल धर्मशाला के सामने होडल – 121106 (3) श्री बाल किशन (गारंटर) निवासी वार्ड नं. 3, पेच कॉलोनी, अग्रवाल धर्मशाला के सामने होडल–121106 **को मांग नोटिस दिनांक 20.12.2022 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 24,69,887.59 (रु. चौबीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ सत्तासी और पैसे उनसठ मात्र) दिनांक 20.12.2023 तक** उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एत्तद्द्वारा कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि के अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक **20.03.2024** को कब्जा ले लिया है।

कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपतियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि ये निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब नैशनल बैंक, के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 24,69,887.59 (रु. चौबीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ सत्तासी और पैसे उनसठ मात्र) दिनांक 20.12.2023 तक और ब्याज, खर्चे एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित वसूली घटाकर, पूर्ण चुकौती की तिथि तक** के अधीन होगा।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

कोलेटरल प्रतिभूतिः साम्यिक बंधक रिहायशी मकान एमसी संपत्ति सं. 926/1, क्षेत्रफल 105 वर्ग गज जोकि पेच कॉलोनी, होडल में स्थित, यह सम्पत्ति बाल किशन पुत्र ओम प्रकाश के नाम पर है। वासिका नंबर–1310 दिनांक–04–10–1993, चौहदीः उत्तर में – बसंत सिकरिया की संपत्ति, दक्षिण में – रास्ता, पूरब में – नीरज का मकान, पश्चिम में – राम–श्याम का मकान

दिनांक : 20.02.2024, स्थान : गुरुग्राम प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

---

## Criminal Court, Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)

In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
M/s UP Money Ltd
Vs.
Jagwanti etc
CNR NO: PBLD03-011768-2021
COMA/ 7791/2021

Notice To: 2) Sandeep S/o Dharam Pal R/o H. No 1079 village bapoli panipat 132104

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 24-04-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana
JMIC Ludhiana

---

**पंजाब नैशनल बैंक** ...भरोसे का प्रतीक ! **डिमांड नोटिस**

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | मण्डलीय कार्यालयः–1–2, रघुनाथ नगर, महात्मा गांधी मार्ग, आगरा

### सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा –13(2) के अन्तर्गत नोटिस

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, आगरा ने उक्त अधिनियम की धारा–13(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित ऋणिया/गारन्टरों को मांग नोटिस रजिस्टर्ड/ स्पीड डाक द्वारा प्रेषित किये थे। परन्तु उक्त मांग नोटिस बिना डिलीवर हुए वापिस आ गये। इस मांग नोटिस की प्रति बंधक सम्पत्ति के मुख्य द्वार पर बैंक द्वारा चस्पा कर दिया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित ऋणियों/गारन्टरों से निम्नलिखित देनदारी, संविदात्मक ब्याज/खर्चों इत्यादि का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर अदा करने का नोटिस प्रेषित किया जा रहा है। यदि वे उक्त देय राशि इस मांग नोटिस के अनुसार भुगतान करने में असफल रहते है तो बैंक उक्त एक्ट की धारा–13 की उप–धारा (8) के प्रावधन की ओर आकर्षित किया जाता है।

उक्त अधिनियम की धारा 13(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार बिना बैंक की लिखित अनुमति के ऋणियों/गारन्टरों/ बंधककर्ता प्रतिभूति आस्तियों जिनका वर्णन नीचे दिया गया है, की बिक्री लीज एवं अन्य किसी माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा।

| खाते का नाम/ऋणी/गारंटर का नाम व शाखा | डिमांड नोटिस दिनांक बकाया धनराशि | बंधक सम्पत्ति का विवरण |
|---|---|---|
| ऋणी:– 1. श्री अतुल यादव पुत्र श्री बृजेश सिंह यादव, पता–184, मोहन नगर, आगरा नगला रामबल, शाहदरा, आगरा– 282006<br>2. श्रीमती सुनीता यादव पत्नी श्री बृजेश सिंह यादव (ऋणी एवं बंधककर्ता), पता–प्लॉट नम्बर– 70, मोहन नगर, आगरा नगला रामबल, शाहदरा, आगरा– 282006<br>3. श्रीमती सुनीता यादव पत्नी श्री बृजेश सिंह यादव पता–184, मोहन नगर, आगरा नगला रामबल, शाहदरा, आगरा–282006<br>4. श्री अजय कुमार राठौर (गारन्टर), पता–फ्लैट नम्बर 01, शीला प्लाजा, मदिया कटरा, लोहामंडी, आगरा<br>शाखा–बेलनगंज (000300), आगरा | मांग सूचना दिनांक 05.03.2024, बैंक के अनुसार बकाया धनराशि एवं दिनांक 31.01.2024 रू0 8,95,853.89/– (आठ लाख पंचानबे हजार आठ सौ तिरेपन रुपये और नवासी पैसे मात्र) + ब्याज व अन्य खर्चे | साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 70, खसरा नम्बर–2046 स्थित मोहन नगर, नगला रामबल मौजा नरायच, तहसील एत्मादपुर व जिला आगरा क्षेत्रफल– 181.43 वर्गमीटर, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती सुनीता यादव पत्नी श्री बृजेश सिंह यादव, चौहद्दी– पूर्व–प्लॉट नम्बर–71, उत्तर–25 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम–प्लॉट नम्बर– 69, दक्षिण–प्लॉट नम्बर– 37. |

स्थानःआगरा, दिनांक 22.03.2024 प्राधिकृत अधिकारी

---

**गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**
(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

पंजीकृत कार्यालयः 602, 6वीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआर नंबर 79/1, घोरपडी, मुंढवा रोड, पुणे– 411036
शाखा कार्यालय दूसरी मंजिल, श्री महेंद्र कॉम्प्लेक्स, 5 एल्गिन रोड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, सिविल लाइंस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश–211001

### ई–नीलामी बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम के तहत
सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास गिरवी रखा गया है। पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 17 नवंबर 2023 से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में बदल गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जेमनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित किया गया था) (इसके बाद अधिनियम के अनुसार इसे 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में जाना जाता है) जिसका कब्जा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है।

सुरक्षित संपत्तियां ई–नीलामी के माध्यम से 10/04/2024 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ है' के आधार पर बेची जाएंगी। इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया जीएचएफएल/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी www.-grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

| क्रं. सं. | प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम {ए} | मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि {बी} | कब्जे की प्रकृति {सी} | संपत्ति का विवरण {डी} | आरक्षित मूल्य {ई} | ईएमडी (आरपी का 10%) {एफ} | ईएमडी जमा करने की तारीख {जी} | वृद्धिशील बोली {एच} | संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय {आई} | नीलामी की तारीख और समय {जे} | बाधाएँ/न्यायालय मामले, यदि कोई ज्ञात हों तो {के} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऋण संख्या HL00044000000005000090 राम आसरे (उधारकर्ता), रौशनी गुप्ता (सह–उधारकर्ता) | सूचना की तिथि : 11/10/2023 रु. 1715013/– (सत्रह लाख पंद्रह हजार तेरह रुपये मात्र) 11/10/2023 को 14 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय। | भौतिक | वह सारा टुकड़ा और पार्सल मौजा–हंडिया, परगना–केवई, तहसील–हंडिया, प्रयागराज में स्थित आराजी नंबर 200ए का हिस्सा, 57.97 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल। | रु. 11,01,000/– (ग्यारह लाख एक हजार रूपये मात्र) | रु. 1,10,100/– (एक लाख दस हजार एक सौ रूपये मात्र) | 29/03/2024 शाम 5 बजे से पहले | 10,000/– | 03/04/2024 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक) | 10/04/2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक) | शून्य |

**इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, ऋणभार और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।**

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और पहले से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पता– प्लॉट नंबर–68 तीसरी मंजिल गुड़गांव हरियाणा–122003, हेल्पलाइन नंबर– 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी– Support@bankeauctions.com. संपर्क व्यक्ति – विनोद चौहान, ईमेल आईडी– delhi@c1india.com संपर्क नंबर– 9813887931 से ई–बोली के लिए अनिवार्य है, एवमं कि संभावित बोलीदाता लाभ उठा सकते हैं ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण उन्हीं से इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को 'गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' बैंक–आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या–000651000460 और आईएफएससी कोड– आईसीआईसी0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड–कोलकाता–700001, के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करनी होगी। किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से 29/03/2024 को या उससे पहले निकाला गया और अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पंजीकृत करें और उपयोगकर्ता प्राप्त करें। आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क एवं सेवा प्रदाता से ई–नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, ई–मेल करना होगा और पते पर स्वयं सत्यापित हार्ड कॉपी – दूसरी मंजिल, श्री महेंद्र कॉम्प्लेक्स, 5 एल्गिन रोड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, सिविल लाइंस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश–211001 मोबाइल नं. 91 9567626050 ई–मेल आईडी rahul.r1@grihumhousing.com. पर भेजनी होगी ई–नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं।

इस नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को 15 दिनों का नोटिस माना जाना चाहिए।

दिनांकः 22.03.2024 स्थानः उत्तर प्रदेश हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

---

**पंजाब नैशनल बैंक** .......भरोसे का प्रतीक **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, **द्वितीय तल, विक्रांत टॉवर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली**

### सांकेतिक कब्जा सूचना
### प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत, सुरक्षा हित एवं प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल सस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, द्वितीय तल, विक्रांत टॉवर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 13 के साथ पठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता मैसर्स ब्लू लॉर्ड एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता) और श्री अमित तिवारी (ब्लू लॉर्ड एंटरप्राइजेज के प्रोप) और श्रीमती चंदा तिवारी (गारंटर) खाता सं. 6145008700000030 (सीसीओटीएच) **को एक मांग सूचना दिनांक 04.12.2023 को जारी किया गया था। नीचे विवरण अनुसारः**

| क्र. सं. | खाता नं. | सुविधा | एनपीए की तिथि 27.06.2023 तक बकाया तक शेष | दिनांक 30.11.2023 तक एनपीए की तिथि से ब्याज | दिनांक 30.11.2023 तक कुल बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6145008700000030 | CCOTH (रु. 10 लाख) | (रू. 10,28,884.43/- | रू. 66,892/- | रू. 10,95,776.43/- |

**जिसमें उक्त मांग सूचना में वर्णित बकाया राशि रू. 10,95,776.43 (रुपये दस लाख पिच्चान्वे हजार सात सौ छिहत्तर और पैसे तैतालीस मात्र) दिनांक 30.11.2023 तक और अन्य लीगल खर्चें/प्रभार, लागत इत्यदि साथ में संविदात्मक दर से पूर्ण चुकौती की तिथि तक भविष्य का ब्याज, इत्यादि सहित,** उक्त मांग नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सम्पति का सांकेतिके कब्जा धारा 13 की उप–धारा 4 के साथ सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक **20.03.2024** को कब्जा ले लिया है।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल सस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, द्वितीय तल, विक्रांत टॉवर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली के प्रभार वास्ते नीचे वर्णित राशि अनुसारः**

| क्र. सं. | खाता नं. | सुविधा | एनपीए की तिथि 27.06.2023 तक बकाया तक शेष | दिनांक 30.11.2023 तक एनपीए की तिथि से ब्याज | दिनांक 30.11.2023 तक कुल बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6145008700000030 | CCOTH (रु. 10 लाख) | (रू. 10,28,884.43/- | रू. 66,892/- | रू. 10,95,776.43/- |

**रू. 10,95,776.43 (रुपये दस लाख पिच्चान्वे हजार सात सौ छिहत्तर और पैसे तैतालीस मात्र) दिनांक 30.11.2023 तक और संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत एवं प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

**प्रतिभूति आस्तियों का विवरण**

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि निर्मित सम्पत्ति नं. डी–225/1 का सम्पूर्ण बेसमेंट तल, ओल्ड प्लॉट नं. डब्ल्यूजेड–235, भूमि क्षेत्रफल 90 वर्ग गज अर्थात 75.296 वर्ग मी., खसरा नं. **54/5/2 & 11/2** का भाग, गाँव पालम के क्षेत्र में, कॉलोनी जिसे अब राज नगर–।। कहते है, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली–110045 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती चंदा तिवारी पत्नी श्री नागेश तिवारी के नाम पर है। बिक्री विलेख पंजीकरण नं. 6155, पंजी नं. **12.06.2015** द्वारा, बिक्री विलेख के अनुसार चौहद्दीः उत्तर में – गली 12 फीट, पूरब में – अन्य का प्लॉट, दक्षिण में – अन्य का प्लॉट, पश्चिम में – अन्य का प्लॉट

**दिनांक : 20.03.2024, स्थान : दिल्ली** प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

---

**पंजाब नैशनल बैंक** .......भरोसे का प्रतीक **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, **द्वितीय तल, विक्रांत टॉवर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली**

### सांकेतिक कब्जा सूचना
### प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत, सुरक्षा हित एवं प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल सस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, द्वितीय तल, विक्रांत टॉवर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 13 के साथ पठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता **मैसर्स ब्लू लॉर्ड एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता) और श्री अमित तिवारी (ब्लू लॉर्ड एंटरप्राइजेज के प्रोप) और श्रीमती चंदा तिवारी (गारंटर) को एक मांग सूचना दिनांक 04.12.2023 को जारी किया गया था। नीचे विवरण अनुसारः**

| क्र. सं. | खाता नं. | सुविधा | एनपीए की तिथि 27.06.2023 तक बकाया तक शेष | दिनांक 30.11.2023 तक एनपीए की तिथि से ब्याज | दिनांक 30.11.2023 तक कुल बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6145008700000030 | CCOTH (रु. 10 लाख) | (रू. 10,28,884.43/- | रू. 66,892/- | रू. 10,95,776.43/- |

**जिसमें उक्त मांग सूचना में वर्णित बकाया राशि रू. 10,95,776.43 (रुपये दस लाख पिच्चान्वे हजार सात सौ छिहत्तर और पैसे तैतालीस मात्र) दिनांक 30.11.2023 तक और अन्य लीगल खर्चें/प्रभार, लागत इत्यदि साथ में संविदात्मक दर से पूर्ण चुकौती की तिथि तक भविष्य का ब्याज, इत्यादि सहित,** उक्त मांग नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सम्पति का सांकेतिके कब्जा धारा 13 की उप–धारा 4 के साथ सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक **20.03.2024** को कब्जा ले लिया है।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल सस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, द्वितीय तल, विक्रांत टॉवर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली के प्रभार वास्ते नीचे वर्णित राशि अनुसारः**

| क्र. सं. | खाता नं. | सुविधा | एनपीए की तिथि 27.06.2023 तक बकाया तक शेष | दिनांक 30.11.2023 तक एनपीए की तिथि से ब्याज | दिनांक 30.11.2023 तक कुल बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6145008700000030 | CCOTH (रु. 10 लाख) | (रू. 10,28,884.43/- | रू. 66,892/- | रू. 10,95,776.43/- |

**रू. 10,95,776.43 (रुपये दस लाख पिच्चान्वे हजार सात सौ छिहत्तर और पैसे तैतालीस मात्र) दिनांक 30.11.2023 तक और संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत एवं प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

**प्रतिभूति आस्तियों का विवरण**

दृष्टिबंधक स्टॉक, आस्तियां, माल, बही ऋण आदि जोकि निर्मित संपत्ति नं. डी–225/1 का संपूर्ण बेसमेंट तल पुराना प्लॉट नं. **WZ-235**, भूमि क्षेत्रफल 90 वर्ग गज अर्थात 75.296 वर्ग मी., खसरा सं. 54/5/2 एवं 11/2 का भाग गाँव पालम के क्षेत्र में और कॉलोनी जिसे राज नगर–।। कहते है, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली –110045 में रखा है.

**दिनांक : 20.03.2024, स्थान : दिल्ली** प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

---

## Criminal Court, Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)

In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
M/s UP Money Ltd
Vs.
Anita Devi
CNR NO: PBLD03-011765-2021
COMA/ 7789/2021

Notice To: 2) Balster S/o Mahender Singh R/o Village Garhi Bhalaur Distt Panipat 132104

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 24-04-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

---

**HINDUJA HOUSING FINANCE**

**हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**
**कॉर्पोरेट कार्यालय : क्रमांक 167–169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015**
**शाखा कार्यालयः 418, चौथी मंजिल, पर्ल ओमेक्स टावर–2, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली–110034**

### अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की सार्वजनिक सूचना

को,
1. श्री प्रदीप मैती (उधारकर्ता)
निवासी ए–162 भूमिहीन कैम्प,
कालकाजी, दिल्ली–110019
2. श्रीमती रेनू मैती (सह–उधारकर्ता)
निवासी ए–162 भूमिहीन कैम्प,
तुगलकाबाद, नई दिल्ली–110019
LAN: DL/DEL/DWND/A000000060

जबकि एलडी मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दक्षिण पूर्व जिला, साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2024 के तहत "संपत्ति संख्या आरजेड–58–डी, तीसरी मंजिल पीछे की ओर (छत अधिकार के बिना), तुगलकाबाद एक्सटेंशन दिल्ली–110018" में स्थित खसरा नंबर 498 सहित 65 वर्ग गज की कुल भूमि में से 32 वर्ग गज के सभी टुकड़े और पार्सल हैं, उसका 16.03.2024 को मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा भौतिक कब्जा अधिग्रहण किया गया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधीन होगा।

अधिकृत अधिकारी
दिनांक : 21.03.2024 हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस
स्थान : दिल्ली लिमिटेड के लिए

---

### प्ररुप संख्या आईएनसी–26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

**केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

**इन्फोएक्सॉन टैक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड**
**(CIN:U72900DL2002PTC117132)**
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **59 नेहरू अपार्टमेंट, आउटर रिंग रोड, कालकाजी, नई दिल्ली–110019** में हैं, के मामले में
**....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता**

एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश"** में स्थानांतरित करने के लिए **20 मार्च 2024** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

**59 नेहरू अपार्टमेंट, आउटर रिंग रोड,**
**कालकाजी, नई दिल्ली–110019**

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
**इन्फोएक्सॉन टैक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड**
हस्ता/–
**विनीत दहिया**
(निदेशक)
दिनांक : 21.03.2024
स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 00798557

---

## Criminal Court, Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)

In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank
Vs.
SRM Public school
CNR NO: PBLD03-028399-2021
COMA/ 11450/2021

Notice To: 1) SRM Public School Address- Through Its Head Master Jeewan Singh R/o Village Harchakkian Tehsil Harchak Kangra Himachal Pradesh

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 24-04-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

---

## Criminal Court, Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)

In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank
Vs.
DE Montreal convent
CNR NO: PBLD03-028374-2021
COMA/ 11466/2021

Notice To: 1) DE montreal convent education society address- through its authorised signatory pardeep singh r/o ward no 2 VPO bari, tehsil noorpur district kangra 176051

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 24-04-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

---

## Criminal Court, Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)

In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
M/s UP Money Ltd
Vs.
Khushbu
CNR NO: PBLD03-011789-2021
COMA/ 7773/2021

Notice To: 2) Sunil S/o Dharampal R/o H. No 1 Village Begru Khurd Jind

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 24-04-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

---

## Criminal Court, Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)

In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank
Vs.
Ashok Kumar
CNR NO: PBLD03-046432-2020
COMA/ 8427/2020

Notice To: 1) ashok kumar address- son of not known resident of house no 380 t huts industrial area kirti nagar ramesh nagar new delhi

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 25-04-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

---

## ऐक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटरः प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

| खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता | सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण | मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि<br>मांग सूचना की तिथि<br>कब्जे की तिथि |
|---|---|---|
| श्री जसपाल सिंह (ऋणी) पुत्र श्री सम्पूरन सिंह पताः मकान नं0 166 कनवाली रोड, पोस्ट कौलगढ़, तहसील एवं जिला देहरादून, उत्तराखंड– 248195, सुमित सिंह (सह–ऋणी) पुत्र श्री जसपाल सिंह **पताः 1.** मकान नं0 166 कनवाली रोड, पोस्ट कौलगढ़, तहसील एवं जिला देहरादून, उत्तराखंड–248195, **पताः 2.** जी 190 नेहरू कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड–248001 | भूमि/ सम्पत्ति म्यूनिसिपल नं0 72 (न्यू नं0 90/94) स्थित ढाकपट्टी, राजपुर रोड, जिला देहरादून, एरियाः 95.22 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्री जसपाल सिंह के नाम। **चौहद्दीः पूरब**– श्री ब्रिज लाल की सम्पत्ति, साइड मापन 41 फीट, **पश्चिम**– श्री अभिलाष गुप्ता की सम्पत्ति, साइड मापन 41 फीट, **उत्तर**– 13 फीट चौड़ा रोड, साइड मापन 25 फीट, **दक्षिण**– श्री दीपक की सम्पत्ति, साइड मापन 25 फीट। | **रू0 4,71,264.00** दि. 25.10.2023 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे<br>**25.10.2023**<br>**20.03.2024** |

दिनांकः 22.03.2024 प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

---

## ऐक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटरः प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

| खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता | बंधक सम्पत्तियों का विवरण | मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि<br>मांग सूचना की तिथि<br>कब्जे की तिथि |
|---|---|---|
| राजेश कुमार (ऋणी) पुत्र श्री राम वचन पताः खत्री पुरवा सिविल कोर्ट के पास, बहराइच, उ0प्र0–271801, श्रीमती लक्ष्मी देवी (ऋणी) पत्नी श्री राजेश कुमार पता – खत्री पुरवा सिविल कोर्ट के पास, बहराइच, उ0प्र0–271801 | भूमि/सम्पत्ति खसरा सं0 186 व 198 का भाग प्लॉट स्थित ग्राम हसेमऊ (अमेठी ग्रीन सिटी) परगना व तहसील, लखनऊ, जिला लखनऊ, उ0प्र0–226010, एरियाः 58.550 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम। **चौहद्दीः** पूर्व–आराजी दीगर, पश्चिम–25 फीट चौड़ा रोड, उत्तर–आराजी दीगर, दक्षिण– विक्रेता का मकान। | **रू0 22,30,535.00** दि. 12.12.2023 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे<br>**12.12.2023**<br>**18.03.2024** |
| श्री राजकुमार (ऋणी) पुत्र श्री राम खेलावन, पताः 1. लुधोरी, पोस्ट लुधोरी, निघासन, बिनौरा, खेरी, उ0प्र0–262903, पताः 2. 538 के/777, शिवपुरम, त्रिवेणी नगर तृतीय, न्यू वर्ल्ड पब्लिक इण्टर कॉलेज के पास, लखनऊ, उ0प्र0–226020, श्रीमती काजल जैसवाल (सह–ऋणी) पत्नी श्री राजकुमार पताः 1. 538के/738 डी, सीतापुर रोड, शिवपुरम, त्रिवेणी नगर तृतीय, निराला नगर, लखनऊ, उ0प्र0–226020, पताः 2. 538 के/777, शिवपुरम, त्रिवेणी नगर तृतीय, निकट न्यू वर्ल्ड पब्लिक इण्टर कॉलेज के पास, लखनऊ, उ0प्र0–226020 | भूमि/सम्पत्ति प्लॉट सं0 18 पर निर्मित मकान, खसरा नं0 59 मिन. नगरपालिका सं0 610/पी–18(ख–59) स्थित ग्राम लोहरामऊ, वार्ड फैजुल्लागंज, तहसील एवं जिला लखनऊ, सम्पत्ति श्री राजकुमार एवं काजल जैसवाल के नाम। एरियाः 46.468 वर्ग मीटर, **चौहद्दीः** पूर्व–अन्य का मकान, पश्चिम–रोड 18 फीट चौड़ा, उत्तर–रोड 20 फीट चौड़ा, दक्षिण– अन्य का मकान। | **रू0 13,92,578.00** दि. 16.10.2023 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे<br>**16.10.2023**<br>**18.03.2024** |
| श्री महेश (ऋणी) पुत्र स्व0 श्री राम नरेश गुप्ता पताः 2. बी–2334, इंदिरा नगर, बी– ब्लॉक, लखनऊ, उ0प्र0–226016, पताः 2 मै0 अनुभव कम्यूनिकेशन केयर ऑफ श्री महेश पता– शॉप नं0–06, सांई प्लाजा, बी–ब्लॉक, इंदिरा नगर, लखनऊ, उ0प्र0–226016 | भूमि/सम्पत्ति ईडब्लूएस मकान नं0 बी–2334, स्थित स्थित बी– ब्लॉक, इंदिरा नगर, लखनऊ, उ0प्र0–226016, एरियाः 45.90 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्री राम नरेश गुप्ता के नाम। **चौहद्दीः** पूर्व–मकान नं0 बी–2336, पश्चिम–मकान नं0 बी–2332, उत्तर–6 मीटर चौड़ा रोड, दक्षिण–मकान नं0 बी–2348 | **रू0 10,75,791.00, रू0 4,59,052.00, रू0 4,37,167.00 रू0 2,83,978.00** दि. 11.12.2023 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे<br>**11.12.2023**<br>**18.03.2024** |
| श्री गौरव सिंह चौहन (ऋणी) पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश चौहान पताः 1. सी–165, एलडीए कॉलोनी, सेक्टर–डी, लोकबंधु हॉस्पिटल, लखनऊ उ0प्र0–226005, पताः 2. मकान नं0 133/145, ओ ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर, उ0प्र0–208001, पताः 3. रिलायंस जीओ इनफोकॉम लि0, मघुम प्लाजा, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0–226010, श्रीमती सोनाली मिश्रा (सह–ऋणी) पत्नी श्री गौरव सिंह चौहन पताः 1. मकान नं0 सी–165, एलडीए कॉलोनी, सेक्टर–डी, लोकबंधू हॉस्पिटल, लखनऊ उ0प्र0–226005, पताः 2. मकान नं0 133/145, डी ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर, उ0प्र0–208001, पताः 3– 561/114, सिंधू नगर, मानस नगर, कृष्णा नगर, लखनऊ, उ0प्र0–226023 | भूमि/सम्पत्ति प्लॉट नं0 202 के भाग पर, खसरा नं0 5 स्थित ग्राम अलीनगर, सुनाहरा परगना–बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ। एरियाः 85.501 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्री गौरव सिंह चौहान के नाम। **चौहद्दीः** पूर्व– 24 फीट चौडा रोड, पश्चिम–अन्य का प्लॉट, उत्तर–नीतू कुमार का मकान, दक्षिण–संध्या सिंह का मकान। | **रू0 29,86,415.00** दि. 02.05.2023 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे<br>**02.05.2023**<br>**18.03.2024** |

दिनांकः 22.03.2024 प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0